न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
32/2025	26/03/2025	20/12/25

मोहम्मद इखलाक पुत्र चांद मोहम्मद आयु लगभग 62 वर्ष जाति मुसलमान अंसारी वार्ड नं. 21 इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

वादी

बनाम

1. जमील अहमद पुत्र चांद मोहम्मद जाति मुसलमान अंसारी संजय नगर गली नं. 2 बृज्मे अंसार मदरसा के सामने कोटा जक्शन के पास तह. लाडपुरा कोटा राज.
2. निजामुद्दीन पुत्र पुत्र चांद मोहम्मद जाति मुसलमान अंसारी वार्ड नं. 21 इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
3. मोहम्मद रफीक पुत्र चांद मोहम्मद जाति मुसलमान अंसारी वार्ड नं. 21 इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दा कम उपंजीयन अधिकारी पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री एस.टी.एच आब्दी एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री विकास पारेता एड0।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं 151 सी.पी.सी.

निर्णय

अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र ने आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद विधि वर्जित है वयस्क व्यक्तियो द्वारा सक्षम अधिकारिता वाले सक्षम विहित प्राधिकारी अधिकारी तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष सभी खातेदारो की पूर्ण सहमति से पूर्ण होश हवास में गवाह की मौजूदगी मे दिनांक 28/01/2016 को निष्पादित हुआ है राजीनामा से सक्षम अधिकारी के समक्ष हुए विभाजन को सुनने का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नही है क्योकि दिनांक 28/01/2016 को निष्पादित हुआ सहमति विभाजन विलेख एक पंजीकृत विलेख है जिसे रदद/निरस्त हेतु सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है राजस्व न्यायालय को वाद सुनने का कोई श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने से वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के विहित प्रावधानो के तहत खारिज होने योग्य है। वादी ने दिनांक 28/01/2016 के विभाजन पत्र को धोखाधडी व तथ्यो को छुपाते हुए होना बताते हुए दुरूस्त करने को प्रार्थना की है। दुरूस्त तो किसी कमी या त्रुटि का होना होता है यदि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निष्पादित विभाजनं विलेख पर आक्षेप यदि धोखाधडी व तथ्यो को छुपाते हुए आक्षेपित किया गया है तो इसे सिविल न्यायालय मे ही चुनौती दी जा सकती है राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नही है इसलिए वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत खारिज होने योग्य है वादी के वाद का मुख्य आधार दिनांक 28/01/2016 को तहसील पीपल्दा के समक्ष हुए सहमति विभाजन विलेख है उक्त विभाजन विलेख वादी की पूर्ण सहमति से स्वंय उपस्थित होकर करवाया गया है इसे परिसीमा अधिनियम के तहत मात्र 3 वर्ष की अवधि मे ही चौलेन्ज किया जा सकता है इसलिए वादी का वाद मियाद बाहर (Limitation out) होने से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा निर्थक व विधि विरूद्ध तरीके से वाद पेश किया है जो कोई वाद हेतुक प्रकट नही करता है तथा अन्य विधि से बाधित होने से खारिज होने योग्य है। उक्त विभाजन सभी खातेदारो की आपसी सहमति से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष गवाह की मौजूदगी मे रचा गया है जिसके आधार पर बंटवारा अनुसार नक्सा तरमीम हो चुका है जमाबदिया पृथक पृथक हो चुकी है। यदि समय के साथ भूमियो के भावो मे उतार चढाव आने से किसी व्यक्ति को बेईमानी आती है तो उसे चुनौती नही दी जा सकती वादी को वाद लाने का LOCUS STANDLI प्राप्त नही है वादी का वाद चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना से निवेदन है कि वादी का वाद मे कोई वाद हेतुक प्रकट नही होने, विधि द्वारा वर्जित होने तथा माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने एवं वाद मे कोई तात्विक तत्व

सरगर्मित नही होने से आदेश 7 नियम 11 एवं 151 सी.पी.सी. के तहत खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है। जिसका विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के मध्य मूल विभाजन के सिद्धान्त के अनुसार होना चाहिए जिसके लिए यह वाद पेश किया गया है तथा माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा वादी के साथ की गई धोखाधडी वाद पत्र में आराजीयात के विभाजन बाबत की गई है उसका सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 17–2–2025 को हुआ इसलिए वाद अवधि मध्य प्रस्तुत है। धारा 53 के अन्तर्गत किया गया विभाजन पूर्णतया विभाजन के मूल सिद्धान्तों के विपरित होने से दुरुस्ती योग्य है तथा माननीय न्यायालय को सुनवाई कर आराजीयात का विभाजन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा पूर्णतया गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर आली जनाब से गुजारिश है कि न्यायहित में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी. सी. खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथा अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। उभयपक्ष बहस पर मनन तथा पत्रावली में विद्यमान दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी–वादी ने पूर्व में हुए विभाजन होने के कार्य को स्वीकार किया है तथा साथ ही विभाजन को धोखाधडी पूर्ण तथा छलकपटी के आधार पर अस्वीकार किया। अतः सारतः विभाजन की प्रकिया (यथा तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होना, स्वयं हस्ताक्षर करना, गवाहों की उपस्थिति तथा दस्तावेज के पंजीकृत होना) वादी अप्रार्थी द्वारा खारिज या अस्वीकृत नहीं किया है बल्कि विभाजन उपरांत जब भूमि के खाते पृथक हुए तथा जो भूमि हिस्से में आई तो अप्रार्थी द्वारा इसे आक्षेपित किया गया तथा धोखाधडी पूर्ण माना गया। वर्ष 2016 से 2025 मे वादी–अप्रार्थी द्वारा इसे चुनौती नहीं दिया जाना वाद कारण उत्पन्न होने पर संशय उत्पन्न करता है। पत्रावली में विभाजन पत्र की सत्यापित छाया प्रतिलिपि में वादी–अप्रार्थी मोहम्मद इखलाक के हस्ताक्षर अंकित है तथा पक्षकार संख्या 3 पर अंकित है। जिसके अनुसार ग्राम रामपुरा ख0नं0 259 रकबा 2.23है0 में से 0.65है0 निजामुद्दीन से पूर्व की तरफ, ग्राम इटावा ख0नं0 740 रकबा 1.50है0 में से 0.69है0 मोहम्मद रफीक के सहारे तथा ग्राम किशनपुरा ख0नं0 11/221 रकबा 0.44है0 कुल किता 3 रकबा 1.78है0 सहमति से वादी को प्राप्त हुई। विभाजन पत्र पंजीकृत विलेख है जिसे रद्द/निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस संबंध में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार और श्रवणाधिकार नहीं है। अतः यह वाद पत्र से स्पष्ट है कि खातों का विभाजन पूर्व में समान पक्षकारों व समान भूमि पर हो चुका है। इसे प्रकरण में Resjudicata का सिद्धांत भी लागू होता है। मियाद की कसौटी पर भी प्रकरण विधि से वाधित है। विभाजन के निर्णय को 9 वर्ष का समय गुजर चुका है। अतः परिसीमन अधिनियम 1963 के उपबंधों की पालना भी आवश्यक रूप से की जानी चाहिए थी। राजस्व न्यायालय की अधिकारिता संबंधी विधि बाधित होने, Resjudicata से प्रभावित होने तथाा परिसीमन अधिनियम 1963 के तहत समयबाधित होने के कारण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(d) सिविल प्रकिया संहिता पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। फैसल सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा